राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड

59वीं बैठक दिनांक 05 दिसम्बर, 2016 की कार्य सूची (एजेण्डा)

एजेण्डा संख्या – 1 : 58 वीं बैठक के कार्य बिंदुओं की पुष्टि	
एजेण्डा संख्या – 2 : शासन संबंधी कार्य सूची	क) बैंक द्वारा भूमि अभिलेखों पर ऑनलाइन प्रभार अंकित करना
	ख) वसूली प्रमाण पत्र का ऑन-लाइन फाइलिंग
	ग) एस.एच.जी. – स्टॉम्प शुल्क में छूट
	घ) आरसेटी
एजेण्डा संख्या – 3 : ग्राम्य विकास योजनाएं	क) कृषि सूखा से प्रभावित क्षेत्रों हेतु कार्य योजना
	ख) फसल बीमा योजना
	ग) किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करना
एजेण्डा संख्या – 4 : समाज कल्याण योजनाएं	क - i) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) क – ii) प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक ऋण आधारित अनुदान (C.L.S.S.)
	ख) स्पेशल कम्पोनेंट प्लान
एजेण्डा संख्या – 5 : अवस्थापना विकास योजनाएं	क) एम.एस.एम.ई. ऋण
	ख) एन.पी.ए.
	ग) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (MUDRA)
	घ) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम (PMEGP)
	ङ) वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना
	च) स्टैण्ड अप इण्डिया
एजेण्डा संख्या – 6 : वित्तीय समावेशन	क) ब्रॉड बैण्ड कनेक्टिविटी – वी.-सैट
	ख) प्रधानमंत्री जन-धन योजना
	ग) सामाजिक बीमा योजनाएं
	घ) वित्तीय साक्षरता
एजेण्डा संख्या 7 : बैंकिंग प्रगति विवरण	क) ऋण आवेदन पत्र निस्तारण
	ख) वार्षिक ऋण योजना वित्तीय वर्ष 2016-17
	ग) ऋण-जमा अनुपात
एजेण्डा संख्या 8 :	क) विमुद्रीकरण (नोटबंदी)
	ख) कैश-लेस बैंकिंग
एजेण्डा संख्या 9 :	भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन के संबंध में
एजेण्डा संख्या – 10 : अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा।	

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड
59वीं बैठक दिनांक 05 दिसम्बर, 2016 की कार्य सूची

एजेण्डा संख्या - 1 : 58वीं बैठक के कार्य बिंदुओं की पुष्टि

एस.एल.बी.सी. की **58वीं** बैठक दिनांक 09 सितम्बर**, 2016** के कार्य बिंदुओं पर संबंधित विभागों एवं बैंकों द्वारा की गयी कार्रवाई से एस.एल.बी.सी., उत्तराखंड को अवगत कराया गया है, जिनकी पुष्टि निम्नलिखित 4 उप-समितियों की बैठक में सदस्यों की सहमति से मान ली गयी है।

1. अवस्थापना विकास बैंकर्स स्थायी समिति बैठक दिनांक 02 नवम्बर, 2016
2. ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति बैठक दिनांक 02 नवम्बर, 2016
3. बैंकरहित क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) हेतु गठित राज्य स्तरीय उप-समिति की बैठक दिनांक 04 नवम्बर, 2016
4. समाज कल्याण बैंकर्स स्थायी समिति बैठक दिनांक 04 नवम्बर, 2016

एजेण्डा संख्या - 2 : <u>शासन संबंधी कार्य सूची</u>

<u>क) बैंक द्वारा भूमि अभिलेखों पर ऑनलाइन प्रभार अंकित करना :</u>
<u>(Online Creation of Charge on Land Records by Bank)</u>

उत्तराखंड सरकार ने बैंकों द्वारा कृषि ऋणों के विरुद्ध उनकी भूमि प्रलेखों पर ऑन-लाइन प्रभार दर्ज करने की प्रक्रिया से संबंधित सरकारी अधिसूचना जारी करने पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। **दिनांक 02 नवम्बर, 2016 को संपन्न हुई ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक में राजस्व** विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि इस विषयक अधिसूचना शीघ्र जारी कर दी जाएगी।

<u>ख) वसूली प्रमाण पत्र का ऑन-लाइन फाइलिंग :</u> " SLBC - 39 "

दिनांक 02 नवम्बर, 2016 को संपन्न हुई ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक में राजस्व विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि बैंकों द्वारा जारी किए गए वसूली प्रमाण पत्र को **राजस्व विभाग** के **वेबपोर्टल** पर **" ऑन-लाइन अपलोड "** करने की सुविधा प्रदान करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। समस्त बैंक अपने वसूली प्रमाण पत्रों का मिलान संबंधित तहसील से दिनांक 30 नवम्बर, 2016 तक करना सुनिश्चित करें।

(₹ लाखों में)

लम्बित वसूली प्रमाण पत्रों की स्थिति				**कुल लम्बित आर.सी.**	
एक वर्ष से कम		**एक वर्ष से अधिक**			
संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
8,075	**6,116**	**13,125**	**13,933**	**21,200**	**20,049**

ग) <u>एस.एच.जी. : स्टॉम्प शुल्क में छूट</u>

बैंकों द्वारा **₹ 5 लाख** तक के वित्तपोषित एस.एच.जी. को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा उन पर **"स्टॉम्प शुल्क"** से विमुक्त रखने की घोषणा की है, जो कि शासन का एक उत्साहवर्धक कदम है और बैंकों को अधिक से अधिक संख्या में ऋण वितरित करने में सहायक सिद्ध होगा।

घ) <u>आरसेटी :</u> आरसेटी संस्थानों द्वारा पिछले वर्षों में बी.पी.एल. **2654** प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण पर किए गए खर्चों की शेष लम्बित दावा **₹ 40.43 लाख** की धनराशि की प्रतिपूर्ति करवाने की व्यवस्था की जाए, जिससे कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन सुचारु रूप से संभव हो सके।

एजेण्डा संख्या – 3 : ग्राम्य विकास योजनाएं

क) कृषि सूखा से प्रभावित क्षेत्रों हेतु कार्य योजना :

सूखा प्रभावित सात जिलों के कृषि ऋणियों को राहत प्रदान करने हेतु दिनांक 19 सितम्बर, 2016 को सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में आयोजित एस.एल.बी.सी., उत्तराखंड की विशेष बैठक में निर्णय लिया गया कि बैंकों द्वारा सूखा प्रभावित किसानों के दिनांक 30.04.2016 को स्टैण्डर्ड बैंक ऋणों की चुकौती हेतु बैंकों की अनुमोदित नीति के अनुसार स्थगन अवधि (**Moratorium period)** प्रदान की जाए और उन्हें नए कृषि ऋण भी उपलब्ध कराए जाएं। इसी क्रम में संबंधित अग्रणी जिला प्रबंधकों द्वारा डी.सी.सी. की विशेष बैठक का आयोजन भी किया गया है। इन बैठकों में प्रभावित जिलों की बैंक शाखाओं को निर्देशित किया गया कि वे कृषि सूखा से प्रभावित किसानों को बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार राहत प्रदान करें। इस संदर्भ में सभी जिलों में कार्य प्रगति पर है।

ख) फसल बीमा योजना :

"प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" के अंतर्गत रबी 2016 की संसूचित फसलों और रिस्ट्रक्चर्ड मौसम आधारित फसलों हेतु उत्तराखंड शासन द्वारा दिनांक 28 अक्टूबर, 2016 को अधिसूचना जारी कर दी गयी है। अत: समस्त बैंक पात्र कृषकों के फसलों का बीमा करना सुनिश्चित करें।

ग) किसानों की आय दोगुना करना - वर्ष 2022 तक:

भारत सरकार के 2016 के आम बजट में घोषण की गयी थी कि वर्ष 2022 तक देश के किसानों की आय को दोगुना करना होगा। इसी क्रम में ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक दिनांक 02 नवम्बर, 2016 में अध्यक्ष महोदय द्वारा नाबार्ड को निर्देशित किया गया कि वर्ष 2017-18 हेतु क्षेत्र की संभाव्यता के आधार पर पोटेन्शियल लिंकड प्लान (पी.एल.पी.) बनवाकर तथा समस्त अग्रणी जिला प्रबंधकों से समन्वय स्थापित कर कार्य नीति तैयार करें, जिससे लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके तथा इस विषय पर एक प्रस्तुतीकरण (प्रेजेन्टेशन) तैयार करें।

एजेण्डा संख्या - 4 : समाज कल्याण योजनाएं

क – i) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) : " SLBC - 16 एवं 17 "

एन.यू.एल.एम. के अंतर्गत अब तक समस्त बैंकों द्वारा की गयी प्रगति :-

माह नवम्बर, 2016 तक

बैंक	वार्षिक भौतिक लक्ष्य (वर्ष 2016-17)	प्रेषित आवेदन पत्रों की संख्या	स्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या	वितरित आवेदन पत्रों की संख्या	निरस्त आवेदन पत्रों की संख्या	लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या
	1280	1439	696	429	267	476

क – ii) प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक ऋण आधारित अनुदान (Credit Link Subsidy Scheme) :

प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन हेतु नेशनल हाऊसिंग बैंक तथा हुडको को नोडल एजेन्सी बनाया गया है, जिसके अंतर्गत सबके लिए आवास (शहरी) हेतु बैंक ऋणों पर क्रेडिट लिंक सब्सिडी का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य हेतु निर्धारित लक्ष्य 2450 का जिलेवार आवंटन कर दिया गया है। हुडको से आग्रह है कि योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारियों से सदन को अवगत कराया जाए।

ख) स्पेशल कम्पोनेंट प्लान :

स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अंतर्गत **नवम्बर, 2016 तक** समस्त बैंकों द्वारा की गयी प्रगति :-

i) अनुसूचित जाति :

(**₹** लाखों में)

वार्षिक लक्ष्य	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन	वितरित आवेदन	बैंक ऋण राशि	निरस्त आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
1588	**907**	**772**	**724**	**242.34**	**20**	**115**

ii) अनुसूचित जन-जाति :

(**₹** लाखों में)

वार्षिक लक्ष्य	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन	वितरित आवेदन	बैंक ऋण राशि	लम्बित आवेदन पत्र
100	**82**	**62**	**54**	**11.90**	**20**

iii) अल्पसंख्यक समुदाय :

(**₹** लाखों में)

वार्षिक लक्ष्य	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन	वितरित आवेदन	बैंक ऋण राशि	लम्बित आवेदन पत्र
225	72	**28**	**26**	**79.00**	**44**

राज्य सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष से अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना को पूर्ण रुप से बैंक योग्य (**Bankable**) कर दिया गया है।

इस योजना के अंतर्गत **₹** 10 लाख तक की लागत के ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराये जाएंगे और निगम द्वारा 25 प्रतिशत अधिकतम **₹ 2.5 लाख** की शासकीय अनुदान राशि देय होगी।

इस योजना के अंतर्गत मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी एवं बौद्ध समुदाय, जिनकी **वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में ₹ 81,000/-** एवं **शहरी क्षेत्र में ₹ 1,03,000/- से कम** हो, को बैंक ऋण दिया जा सकता है।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा सभी विभाग जिनके द्वारा सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं के अंतर्गत ऋण आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित किए जाते हैं, से आग्रह है कि योजनाओं के वार्षिक लक्ष्यों के अनुरुप पर्याप्त संख्या में ऋण आवेदन पत्र बैंक शाखाओं को 15 दिसम्बर, 2016 तक प्रेषित कर दिए जाएं, जिससे कि समय रहते शत प्रतिशत लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित हो सके। इसके अतिरिक्त सभी विभाग सरकारी ऋण योजनाओं के तहत प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों की सूची अग्रणी जिला प्रबंधकों / बैंक नियंत्रकों को प्रेषित करें, जिससे कि आवेदन पत्रों के निस्तारण पर निगरानी **(monitoring)** की जा सके तथा उनका अति शीघ्र निस्तारण संभव हो सके।

एजेण्डा संख्या – 5 : *अवस्थापना विकास योजनाएं:*

क) एम.एस.एम.ई. ऋण : " SLBC - 27 "

सभी बैंकों द्वारा राज्य में एम.एस.एम.ई. के अंतर्गत 30 सितम्बर, 2016 तक **2,39,764** इकाईयों को **कुल ₹ 14,049 करोड़** के ऋण वितरित किए गए हैं।

ख) एन.पी.ए. : " SLBC - 30 C "

एस.एस.आई. (स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज) के अंतर्गत बैंकों के ऋण खातों में **₹ 980** करोड़ के एन.पी.ए. हैं। दिनांक 02 नवम्बर, 2016 को संपन्न हुई अवस्थापना विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी बैंकों को निर्देशित

किया गया कि रुग्ण एन.पी.ए. इकाइयों के पुनर्वास हेतु गठित उप-समिति की बैठक आयोजित करने की नियत तिथि से एस.एल.बी.सी. को अवगत कराएं। इन बैठकों में एन.पी.ए. कम करने हेतु उचित रणनीति / सुझावों से शासन को अवगत कराएं, जिससे कि शासन द्वारा इस विषय पर समुचित उपाय किए जा सकें।

ग) प्रधानमंत्री मुद्रा (MUDRA) योजना " SLBC - 28 "

सभी बैकों द्वारा **"प्रधानमंत्री मुद्रा योजना"** के अंतर्गत अपने निर्धारित वित्तीय लक्ष्यों के सापेक्ष **30 सितम्बर, 2016** तक निम्नवत् ऋण वितरित किए गए हैं :

(₹ लाखों में)

योजना	ऋण राशि सीमा	निर्धारित लक्ष्य राशि	वितरित ऋणों की संख्या	वितरित ऋण राशि
शिशु	₹ 50000 तक के ऋण (ओवरड्राफ्ट राशि सम्मिलित)	33743.00	8722	3312.72
किशोर	₹ 50,001 से ₹ 5 लाख	80414.00	9682	18184.73
तरूण	₹ 5 लाख से ₹ 10 लाख	63430.00	1999	12067.52
	कुल संख्या एवं ऋण राशि	**177587.00**	**20403**	**33564.97**

मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 30 नवम्बर, 2016 को संपन्न बैठक में बैंकों को निर्देशित किया गया कि विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर "मुद्रा कैम्प" का निरंतर आयोजन कर, लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करें।

समस्त बैंक विभिन्न विभागों जैसे उद्योग विभाग, आई.टी.आई. इत्यादि से समन्वय स्थापित कर योजना के अंतर्गत ऋण आवेदन पत्र प्राप्त कर निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करें।

घ) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम :

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के क्रम में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत ऑन-लाइन डी.बी.टी. प्रणाली दिनांक 01 जुलाई, 2016 से प्रभावी है। विभिन्न बैंकों द्वारा अवगत कराया गया था कि पी.एम.ई.जी.पी. के वेबपोर्टल पर आवेदन पत्रों के ऑन-लाइन निस्तारण में अत्यंत असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। दिनांक 02 नवम्बर, 2016 को अवस्थापना विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक में बैंकों द्वारा अवगत कराया गया कि बैंकों को आवेदन पत्रों के ऑन-लाइन निस्तारण में अब कोई कठिनाई नहीं हो रही है। बैंकों को निर्देशित किया गया था कि वे सभी लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण दिनांक 30 नवम्बर, 2016 तक अनिवार्य रुप से कर दें।

ङ) वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना :

माह नवम्बर, 2016 तक (₹ लाखों में)

मद - लक्ष्य	आवेदन प्राप्त	आवेदन स्वीकृत	आवेदन वितरित	वितरित ऋण राशि	आवेदन निरस्त	आवेदन लम्बित
वाहन - 249	251	231	126	552.23	15	05
गैर-वाहन – 251	226	188	132	904.16	26	12
कुल योग - 500	**477**	**419**	**258**	**1456.39**	**41**	**17**

सभी बैंक लम्बित आवेदन पत्रों का त्वरित निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

पर्यटन विभाग द्वारा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के आवेदन पत्रों का ऑन-लाइन प्रेषण एवं मॉनिटरिंग करने हेतु एन.आई.सी. के सहयोग से सॉफ्टवेयर तैयार करने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

च) स्टैण्ड अप इण्डिया : " SLBC - 44 "

इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक बैंक शाखा को कम से कम एक महिला, एक अनुसूचित जाति अथवा एक जनजाति वर्ग के व्यक्ति को स्वयं का उद्यम स्थापित करने हेतु **न्यूनतम ₹ 10 लाख से अधिकतम ₹ 100 लाख** तक के ऋण बैंकों द्वारा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

इस योजना के अंतर्गत अब तक की प्रगति निम्नवत् हैं :

30 सितम्बर, 2016 (₹ लाखों में)

क्र.सं.	वर्ग	वितरित ऋणों की संख्या	वितरित ऋण राशि
1	महिला	105	2102.50
2	अनुसूचित जाति	08	135.25
3	अनुसूचित जनजाति	20	348.88
	कुल	**133**	**2586.63**

सभी बैंक विशेष रणनीति तैयार कर तथा अभियान चलाकर कैम्प मोड में अधिक से अधिक संख्या में ऋण वितरित करना सुनिश्चित करें, जिससे कि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित हो सके।

एजेण्डा संख्या – 6 : वित्तीय समावेशन

क) ब्रॉड बैण्ड कनेक्टिविटी – वी.-सैट :

कनेक्टिविटी रहित **1181** एस.एस.ए. में संबंधित बैंकों ने 267 स्थानों पर वैकल्पिक माध्यमों से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना आरम्भ कर दिया है। शेष 914 स्थानों पर संबंधित बैंक शीघ्रातिशीघ्र वी.-सैट स्थापित करना सुनिश्चित करें। जिन बैंकों द्वारा यह अवगत करवाया गया है कि कुछ एस.एस.ए. में वैकल्पिक माध्यमों से कनेक्टिविटी उपलब्ध है, वे कृपया सुनिश्चित कर लें कि उन सभी एस.एस.ए. में ऑन-लाइन बैंकिंग सेवाएं प्रदान कराने हेतु पर्याप्त कनेक्टिविटी उपलब्ध है।

बैंकों अपने बिजनेस कॉरेसपोन्डेन्ट को **Aadhaar enabled POS machine** उपलब्ध कराएं, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों के ग्राहकों को आधार संख्या का उपयोग कर बेसिक बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करायी जा सकें, इसलिए समस्त खातों में आधार संख्या की शत प्रतिशत सीडिंग अनिवार्य रूप से कर लें।

ख) प्रधानमंत्री जन-धन योजना :

इस योजना के अंतर्गत अद्यतन प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की प्रगति निम्न प्रकार है :

i) बैंक खाते खोले गए कुल परिवार की संख्या	**20,56,975**
ii) रु-पे डेबिट कार्ड जारी किए गए खातों की संख्या	**20,74,064**
iii) पी.एम.जे.डी.वाई. खातों में आधार सिडिंग की संख्या	**9,25,731**

समस्त बैंक अपने सभी ग्राहकों के बचत खाते में उनके आधार संख्या अनिवार्य रुप से शीघ्र दर्ज करवाएं। मनरेगा खातों से संबंधित बैंकों को प्रेषित आधार सहमति फार्म **(Aadhaar Consent Form)** की सूचना जिलेवार / बैंकवार / शाखावार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को ई.-मेल द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, जिसे संबंधित बैंक नियंत्रकों को उनकी आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करा दिया गया है।

ग) सामाजिक बीमा योजना :

इस योजना के अंतर्गत अद्यतन प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की प्रगति निम्न प्रकार है :

योजना	प्रगति
i) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	**13,58,601**
ii) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	**3,95,107**
iii) अटल पेंशन योजना	**22,850**

सभी बैंक पात्र ग्राहकों को इन योजनाओं के अंतर्गत अधिक से अधिक संख्या में पंजीकृत करवाएं।

घ) वित्तीय साक्षरता :

राज्य में कुल **18** एफ.एल.सी. कार्यरत हैं जिनके माध्यम से सभी वाणिज्यिक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपनी ग्रामीण शाखाओं में कम से कम एक वित्तीय साक्षरता शिविर अवश्य लगाएं, ताकि वित्तीय सुविधाओं से वंचित लोगों को भी जागरुक किया जा सके।

01 अप्रैल, 2016 से 30 सितम्बर, 2016 तक आयोजित कैम्प की संख्या :

जनसाधारण हेतु कैम्प की संख्या	एस.एच.जी. हेतु कैम्प की संख्या	कुल कैम्प की संख्या
518	**328**	**846**

सभी बैंक एफ.एल.सी. कैम्पों से संबंधित अद्यतन सूचना राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

एजेण्डा संख्या - 7 : बैंकिंग प्रगति से संबंधित विवरण

क) ऋण आवेदन पत्र निस्तारण :

सभी बैंक नियंत्रक सुनिश्चित करें कि विभिन्न सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत लम्बित / नए आवेदन पत्रों का 15 दिनों के अंदर निस्तारण करवाएं।

ख) वार्षिक ऋण योजना वित्तीय वर्ष 2016-17 - : " SLBC - 03 "

वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु बैंकों के लिए वार्षिक ऋण योजना हेतु निर्धारित लक्ष्य **₹ 16,385 करोड़** के सापेक्ष बैंकों द्वारा सितम्बर, 2016 तक **₹ 6,686 करोड़** की उपलब्धि विभिन्न सेक्टरों में दर्ज की गयी है।

(₹ करोड़ों में)

गतिविधि	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशत
कृषि ऋण	5753	2114	37 %
सावधि ऋण	2810	673	24 %
फार्म सेक्टर (कुल)	**8563**	**2787**	**33 %**
नॉन-फार्म सेक्टर	4451	2325	52 %
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	3371	1574	47 %
कुल योग	**16385**	**6686**	**41%**

वित्तीय वर्ष के द्वितीय त्रैमास हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित मानक 40 % है, जिसके सापेक्ष बैंकों ने 41 % की उपलब्धि दर्ज की है।

ग) ऋण-जमा अनुपात - " SLBC - 01 "

राज्य का **ऋण-जमा अनुपात** लगभग 57 **%** है।

निम्न **बैंकों** का ऋण-जमा अनुपात **40 प्रतिशत** से कम है, इसे बढ़ाने हेतु अपने बैंक की रणनीति से सदन को अवगत कराएं।

बैंक	शाखाओं की संख्या	सितम्बर, 2016
सेन्ट्रल बैंक	41	28 %
इण्डियन बैंक	12	25 %

निम्न **जिलों** का ऋण-जमा अनुपात **30 प्रतिशत** तक भी नहीं पहुँचा है।

जिला	बैंक शाखाओं की संख्या	सितम्बर, 2016
पौड़ी	196	26 %
अल्मोड़ा	145	22 %
बागेश्वर	50	27 %
रुद्रप्रयाग	54	25 %
चमोली	92	29 %

<u>एजेण्डा संख्या – 8 : विमुद्रीकरण (नोटबंदी)</u>

क) दिनांक 10 नवम्बर, 2016 से भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार सभी बैंकों में विमुद्रीकरण का कार्य प्रमुखता से किया जा रहा है। इस संबंध में दिनांक 22 नवम्बर, 2016 को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की विशेष बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक की उपस्थिति में मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा सभी बैंकों को निर्देशित किया गया कि सभी बैंक अपने सब-सर्विस एरिया में तुरंत बैंक मित्र की नियुक्ति करें और **असक्रिय (Inactive)** बैंक मित्रों को तुरंत क्रियाशील (Active) किया जाए साथ ही साथ सभी खातों में **आधार एवं मोबाइल संख्या सीडिंग, रु-पे कार्ड एक्टिवेशन, पिन कार्ड वितरण** का कार्य 100 % सुनिश्चित किया जाए।

ख) कैश-लेस बैंकिंग को प्रोत्साहित करते हुए जनसाधारण के मध्य प्रचलन में लाने हेतु सभी बैंक छोटे व्यापारियों, फुटकर सब्जी विक्रेताओं आदि को "प्वाइंट ऑफ सेल मशीन" (Point of Sale Machine) / ई.-वॉलेट (e-wallet) उपलब्ध कराएं, ताकि ग्राहकगण अपने "ए.टी.एम.-सह-डेबिट कार्ड" का प्रयोग कर अपनी रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें एवं इसका प्रचार-प्रसार भी करें।

<u>एजेण्डा संख्या – 9 : भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन के संबंध में</u>

सैनिक कल्याण विभाग, देहरादून के प्रतिनिधि से भूतपूर्व सैनिकों को बैंकों से पेंशन संबंधी समस्यों के निराकरण हेतु सुझाव आमंत्रित हैं।

एजेण्डा संख्या - 10

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य किसी महत्वूपर्ण विषय पर चर्चा।

****